प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तैंतीस'

[30/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 7697]

परिशिष्ट 1
क्र.7697

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006, भोपाल,दिनांक 25.08.06

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंध मापदण्ड निर्धारण बाबत् ।

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है ।

संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो

हस्ता0/-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006, भोपाल,दिनांक 25.08.06

प्रतिलिपिः-

1— सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
2— सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
3— सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल ।
4— समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5— समस्त कलेक्टर, म0प्र0 ।
6— समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0 प0 ।
7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।

हस्ता/-
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

ता-7697

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जन संख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)